क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, उत्तर प्रदेश

भविष्य निधि भवन

अशोक बिहार फेज-१, पहड़िया, वाराणसी-221007

14781

पंजीकृत

संख्या 39569 / कवरेज / यू० पो० / बां० एन० / 31371 दिनांक : 23-12-03

सेवा में, मेसर्स People's Action For National Integration-PANI

At & PO: Chachikpur (Via Goshaiganj)

Distt- Ambedkar-Nagar - 224141

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाओं का मेसर्स Peoples Action For National Integration-PANI At & P.O. Chachikpur (Via Goshaiganj) Distt: Ambedkar Nagar - 224141 पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 22-12-03 को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा दिनांक ✗ को किए गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :

(क) आपकी स्थापना / फैक्ट्री अर्थात मेसर्स People's Action For National Integration-PANI At & PO Chachikpur (Via Goshaiganj) Distt Ambedkar Nagar जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों / अनुसूचित-1 के अनुच्छेद-1 (क) (ख) में शामिल i(3) b) Educational Institute कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना / फैक्ट्री में दिनांक 1-9-2003 को 33 (Thirty three) व्यक्ति कार्यरत है।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 1 [3] शर्तों को पूरा कर लिया है अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं / विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर है 1-9-2003 तारीख से स्थायी / अस्थायी रूप से लागू है इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जांच अभी की जायेगी।

अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वैछिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिये आपसे पत्र आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात .... को कोड संख्या .... अलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थाई रूप से .... लगाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये भारत सरकार अधिसूचना जारी नही कर लेती।

2. आपकी स्थापना कोड नम्बर यू.पी./वी.एन. 31371 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1992 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1995 कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिये आवन्टित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन, महगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नगद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है प्रत्येक कर्मचारी को 10% प्रतिशत / 12% प्रतिशत की दर से प्रति माह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर रियोक्ता द्वारा देय दर के सामान होती है। उक्त अंशदान में से निम्नानुसार विभाजन किया जावे :—

	कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान
[1] कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत अंशदान–	10% / 12%	1.67% / 3.67%
[2] कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अंशदान–	निल	8.33%

(अ) अंशदान की संगणना पर माह के दौरान मिलने वाला मूल वेतन, मँहगाई भत्ता आदि चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जायेगी।

(ब) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रुपये में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जायेगी।

4. सदस्य को वेतन देने के पूर्व आपको यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से वेतन काटें और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें :–

(क)	कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	क. भ. नि. लेखा सं० 1 में जमा कराया जाए
(ख)	प्रशासकीय प्रभार	क. भ. नि. लेखा सं० 2 में जमा कराया जाए।
(ग)	कर्मचारी पेंशन योजना 1995–अंशदान	क. भ. पे. लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए।

टिप्पणी– (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1.10.86 (1-8-90) से वेतन मूल वेतन मँहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, का० 65 प्रतिशत (1.10%) है जो न्यूनतम 5 रुपये है।

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषद्ध है केवल उन मामलों को छोड़ कर जहाँ ये वसूली समय पर अकस्मात् गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

5. उचित लेखा संख्या 1, 2 और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(i) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21 — इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन मँहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि 0.5 प्रतिशत होगा।

(ii) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 — इस लेखे में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किया जाना वाला मूल वेतन मँहगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का 0.01% होगा। यह दर 1-10-87 से लागू होगी।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियाँ फार्म संख्या 12क (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिये।

6. आपसे यह आपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार कर प्रेषित करें :—

(i) क. भ. नि. स्कीम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत फार्म सं० 9. — ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करनी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना आपेक्षित है या सदस्य बनाने के पात्र हो गये हैं।

(ii) क. भ. नि. स्कीम, और कर्मचारी पेंशन योजना निधि के अन्तर्गत फार्म सं० 2. — ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।

(iii) फार्म सं० 5क — ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(iv) फार्म सं० 3 ए — ये फार्म प्रत्येक सदस्य / कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना में ही रखा जाना चाहिये इस फार्म में भ. नि. में किये अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टि करनी होती है।

(v) फार्म सं० 6 ए — यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-ए के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिये) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(vi) फार्म सं० 12 ए — यह अंशदान का मासिक रिटर्न फार्म है जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से सम्बन्धित चालान को तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(vii) फार्म सं० 5 और 10 — यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निःशुल्क आपको माँग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है । नमूना फार्म संलग्न है ।

8. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अशदान के सम्बन्ध में इन्हें नियोक्ता के भविष्य निधि अशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धि फार्मों में अलग से दिखाकर दिनांक .... 1-9-2003 .... से लेखा सं० 0 में जमा कराया जाना होता है ।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, अंशदान तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध, बीमा से सम्बन्धित .... से .... की बकाया राशि .... को या इससे पूर्व जमा करना होता है । Sept 2003 to Nov. 2003 Rs. 89449=00 Paid.

10. यदि यह स्कीम को लागू करते समय फार्म संख्या 9 दिखाए गये कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 0 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिये । भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चहिये और हस्तान्तरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिये । राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखों उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से वास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी ।

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति भिजवाने की व्यवस्था करें ।

भवदीय

सीताराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
वाराणसी

अनुलग्नक :

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित निर्देश ।
2. लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निर्देश ।
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित निर्देश ।
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से सम्बन्धित रेडी रेकनर ।
5. फार्म-5 क (तीन प्रतियों में)

प्रतिलिपिक :

1. श्री/श्रीमती .... प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रेषित की जाती है. उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म—5 की प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें ।
2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय .... (x यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है / नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है । इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाय ।
3. क्षतिपूर्ति शाखा .... अनुभाग ।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त

कृते : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
वा रा ण सी